बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0कू0मुद्रण–01/15–खंड 6087 खाद्य,पटना/दिनांक 05.08.2015

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– माह जुलाई, 2015 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन एवं किरासन कूपन के माध्यम से करने के संबंध में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 5948 दिनांक 31.07.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–5293 दिनांक 09.07. 2015 एवं पत्रांक–5496 दिनांक 14.07.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्ष 2015–16 में राशन कूपन योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना, पूर्विकताप्राप्त श्रेणी, अन्नपूर्णा लाभुकों का राशन कूपन एवं किरासन कूपन योजनान्तर्गत पारिवारिक सर्वेक्षित सूची के आधार पर चयनित लाभुक परिवारों हेतु किरासन कूपन माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक के लिए मुद्रण कराकर जिला में आपूर्ति किया जा चुका है एवं माह जुलाई, 15 से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण कूपन के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 10666/2015 दिनांक 24.03.2015 द्वारा कूपन के अधियाचना के आलोक में स्थगन आदेश दिया गया है (पत्रांक 5948 दिनांक 31.07. 2015 संलग्न) ।

अतः उक्त के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की अवधि तक पूर्व की भाँति राशन एवं किरासन तेल वितरित कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

5/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Year -2011\Section_-06\R.cupon.doc

(Annexure-4) 60

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र0–6–रा0कू0(मुद्रण)–02/2015 5948 /खाद्य,पटना/दिनांक 31/07/15

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– C.W.J.C No. 10666/2015 जन सेवा संघर्ष समिति बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक– 24.07.2015 को पारित अंतरिम आदेश के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि C.W.J.C No. 10666/2015 जन सेवा संघर्ष समिति बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की जनहित याचिका में दिनांक– 24.07.2015 को की गई सुनवाई में विभागीय पत्रांक– 2467 दिनांक– 24.03.2015 (Annexure-2) के अग्रेतर क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। उक्त विभागीय पत्रांक (Annexure-2) एवं दिनांक– 24.03.15 के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की छायाप्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

अनु0:– यथोक्त ।

31/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–6–रा0कू0(मुद्रण)–02/2015 5948 /खाद्य,पटना/दिनांक 31/7/15

प्रतिलिपि– अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव ।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.10666 of 2015

WEB COPY NOT OFFICIAL

Jan Seva Sangharsha Samiti .... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Arjun Prasad
For the Respondent/s : Mr. Devendra Kr Sinha

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE JUSTICE SMT. ANJANA MISHRA
ORAL ORDER
(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

2 24-07-2015 It is represented that in the year 2013, lacs of ration cards have been printed. While some of the cards have been distributed, the others are lying in the office of the respondents. It is also stated that not only the cards remained undistributed, even the grains of ration were not supplied. Through the impugned order, an attempt is being made to print lacs of cards afresh.

Learned Government Pleader seeks time to inform the Court as to what step has been taken for distribution of the cards printed earlier and supply of ration on that.

Post after two weeks.

Meanwhile, there shall be stay of further steps in pursuance of Annexure-2.

(L. Narasimha Reddy,CJ)

(Anjana Mishra, J)

mrl

U			

[Annexure C-2] [58]

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

[(14)]

पत्रांक— प्र06—रा0कू0मुद्रण—01 / 15 / खाद्य,पटना / दिनांक

अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल / फैक्स

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी.

विषय :— बार कोडेड कूपन मुद्रण हेतु प्रखंडवार एवं पंचायतवार / वार्डवार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभुक परिवारों की सूची भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2015–16 में माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक राशन एवं किरासन कूपन का मुद्रण कराया जाना है। राशन कूपन योजनान्तर्गत पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों को गेहूँ एवं चावल के लिए एक कूपन प्रति माह एवं अन्त्योदय परिवारों को गेहूँ एवं चावल के लिए अलग–अलग दो राशन कूपन प्रति माह दिया जाना है । इसके लिए श्रेणीवार लाभुकों की संख्या की आवश्यकता है । राशन एवं किरासन कूपन के मुद्रण हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुक परिवारों [illegible] की संख्या हार्ड कॉपी एवं C.D (MS-Excel, Kruti Dev-010) में दिनांक 31.03.2015 तक निश्चित रूप से विभाग में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । विभाग के सुविधा के लिए प्रखंडवार परिवारों / व्यक्तियों की संख्या सहित जिले में परिवारों / व्यक्तियों की कुल संख्या की संक्षिप्त विवरणी भी संलग्न किया जाय ताकि यह पता चल सके कि आपके द्वारा प्रतिवेदित परिवारों की संख्या उक्त सर्वेक्षित परिवारों के समान है।

प्रपत्र – 1
(किरासन तैल कूपन हेतु)

(नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं0– 558 दिनांक 17.07.2008 एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र सं0—3552 दिनांक 31.03.2011 के अनुसार।)

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण अन्त्योदय परिवारों की संख्या	ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या	ग्रामीण ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या	कुल परिवारों की सं0 (कॉलम 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र – 2

जिला का नाम	प्रखंड / निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	शहरी अन्त्योदय परिवारों की संख्या	शहरी बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या	शहरी ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या	कुल परिवारों की सं0 (कॉलम 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7

* नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं0– 558 दिनांक 17.07.2008 एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र सं0—3552 दिनांक 31.03.2011 विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध।

प्रपत्र – 3
(राशन कूपन हेतु)

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में अन्त्योदय परिवारों एवं SECC डाटा के आधार पर पहचान किये गये पूर्विकताप्राप्त व्यक्ति के अनुसार)

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण अन्त्योदय परिवारों की संख्या	ग्रामीण पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की संख्या	ग्रामीण पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या	कुल लाभुकों की सं0 (कॉलम 4+6)
1	2	3	4	5	6	7

(48)
157

<u>प्रपत्र – 4</u>

जिला का नाम	प्रखंड / निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	शहरी अन्त्योदय परिवारों की संख्या	शहरी पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की संख्या	शहरी पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या	कुल लाभुकों की सं0 (कॉलम 4+6)
1	2	3	4	5	6	7

<u>प्रपत्र – 5</u>

<u>(अन्नपूर्णा लाभुकों के कूपन हेतु लाभुकों की संख्या)</u>

जिला का नाम	प्रखंड / निकाय का नाम	वार्ड की संख्या	शहरी अन्नपूर्णा लाभुकों की संख्या	ग्रामीण अन्नपूर्णा लाभुकों की संख्या	कुल लाभुकों की संख्या (कॉलम 4+5)
1	2	3	4	5	6

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन
ह0 / --
सरकार के सचिव ।

अनु0:- यथोक्त ।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0मुद्रण–01 / 15 2467 / खाद्य,पटना / दिनांक 24/03/15
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/3/2015
सरकार के सचिव।

D:\Year-2011\Section_...